कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

पत्रांक- 161/X0 दिनांकः 05.06.2021

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या-1946/LXXXVII-CPC/e-Court दिनांकित 26-04-2021 के माध्यम से पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-1945/LXXXVII-CPC/e-Court दिनांकित 22-04-2021, पत्रांक 1944/LXXXVII-CPC/e-Court दिनांकित 14-04-2021 तथा पत्र संख्या-1941/LXXXVII-CPC/e-Court दिनांकित 05- 4-2021 में दी गयी व्यवस्था से जिला न्यायालयों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

उक्त के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1958/LXXXVII-CPC/e-Court दिनांकित 04-06-2021 के अनुपालन में उपरोक्त पत्रों के माध्यम से जिला न्यायालयों के संचालन हेतु जनपद न्यायालय, गाजीपुर में स्थित न्यायालयों के संचालन के संबंध में जारी दिशा निर्देशो में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है, जो दिनांक 07.06.2021 से 11.06.2021 तक प्रभावी होगी जिनकी कार्यावधि प्रातः 10:30 से अपराह्न 02:30 बजे तक होगी।

निम्नलिखित सारणी के अनुसार अधिकारीगण द्वारा कार्य सम्पादित किया जायेगा-

क्रम सं०	न्यायालय जिसके पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य किया जाना है	न्यायालय जिनका भी आवश्यक कार्य किया जायेगा।
1.	श्री प्रशान्त मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।	-
2.	श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी, विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, गाजीपुर।	समस्त पोक्सो न्यायालय गाजीपुर।
3.	श्री गुलाब सिंह-II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, गाजीपुर।	न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1, व विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट), गाजीपुर।
4.	श्री दुर्गेश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय द्वितीय, गाजीपुर।	न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय- प्रथम व न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-5, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-6 , न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-7, गाजीपुर।
5.	श्री स्वप्न आनन्द, सिविल जज (सी०डि०), गाजीपुर	सिविल जज (सी०डि०)/त्वरित न्यायालय,गाजीपुर
6.	श्री घनश्याम शुक्ला, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।	न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
7.	सुश्री गंगा शर्मा, सिविल जज (जू०डि०), गाजीपुर	न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/ त्वरित न्यायालय,गाजीपुर व समस्त न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि), गाजीपुर (आवश्यक सिविल मामलें)

8.	श्री आदर्श अमोल, अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-1, गाजीपुर।	न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, नवसृजित सिविल जज(जू.डि.)/ त्वरित न्यायालय, गाजीपुर व समस्त अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर। (आवश्यक फौजदारी मामलें)

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान अंकित किये जाने एवं रिमाण्ड हेतु अलग से आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

बाह्य न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद गाजीपुर में वर्तमान समय में एक ही न्यायिक अधिकारी कार्यरत् हैं। अतः उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानीय बार के अध्यक्ष/सचिव, से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कार्य करना सुनिश्चित करेगें।

उपरोक्त सारणी में वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के अवकाश / अनुपस्थित रहने की दशा में उक्त न्यायालयों के प्रभारी अधिकारी संबंधित न्यायालय का आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगें।

जेल में निरुद्ध बंदियों के अंत्ा म जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण ऊपर वर्णित अधिकारीगण के न्यायालय से संबंधित होने पर उनके द्वारा किया जाएगा, अन्य सत्र न्यायालयों से संबंधित अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रो का निस्तारण श्री गुलाब सिंह-II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, गाजीपुर एवं अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालयों से संबंधित अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण श्री घनश्याम शुक्ला, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा किया जाएगा।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त संचालित न्यायालयों द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान केवल निम्नलिखित प्रार्थनापत्रों पर ही विचार किया जायेगा-

A- लंबित व नवीन जमानत प्रार्थनापत्र।

B- रिलीज प्रार्थनापत्र।

C- धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान का अंकन।

D- आवश्यक प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण।

E- आवश्यक सिविल प्रकृति के नये मामले (जैसे निषेधाज्ञा व सिविल प्रकृति के अन्य प्रार्थना पत्र)।

F- विचाराधीन बंदियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र / रिमाण्ड, विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा।

उपरोक्त वादों / प्रार्थनापत्रों की सुनवाई / निस्तारण विडियो कान्फ्रेंसिंग या वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से किया जायेगा। सिस्टम आफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश नुसार सिस्टम आफिसर द्वारा जनपद न्यायालय गाजीपुर अधिष्ठान हेतु एक अधिकृत ईमेल **ghazipurfilling@gmail.com** तैयार की गयी है। उक्त ई-मेल आई०डी० का प्रयोग उपरोक्त वर्णित अर्जेन्ट प्रार्थनापत्रों के प्राप्त करने के लिये किया जा सकता है। ऐसे सभी प्रार्थनापत्रों पर संबंधित अधिवक्ता वादकारियों का पूर्ण विवरण, मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई०डी० अंकित होना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रकार के सभी प्रार्थनापत्रों को डाउनलोड कर उनकी आवश्यक सूची तैयार की जायेगी तथा कार्य करने हेतु अधिकृत किये गये न्यायिक अधिकारी के न्यायालय में उपरोक्त प्रार्थनापत्र प्राप्त कराये जायेगे। इस संदर्भ में सिस्टम आफिसर / कोर्ट मैनेजर को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त ई-मेल आई०डी० जनपद न्यायालय गाजीपुर की वेबसाइट पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालय परिसर में अग्रिम आदेश तक विद्वान अधिवक्तागण, वादकारीगण, स्टाम्प विक्रेता, मुंशी आ्ादे का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद न्यायालय, गाजीपुर में उपरोक्त न्यायालयों के संचालन हेतु अधिकतम 30 प्रतिशत कर्मचारी की ही उपस्थिति न्यायालय परिसर में होगी।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में इस आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्र एवं दिशा-निर्देशों की प्रति इस अधिष्ठान के समस्त न्यायिक अधिकारीगण के मध्य अनुपालन हेतु परिचालित की जाये तथा प्रतिष्ठान के समस्त कर्मचारीगण अनुपालन हेतु सूचित हो। सभी पीठासीन अधिकारिगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह कोविड-19 के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय द्वार निर्गत निर्देशों तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1941/LXXXVII-CPC/e-Court दिनांकित 05-04-2021, पत्र संख्या-1944/LXXXVII-CPC/e-Court दिनांकित 14-04-2021 तथा पत्र संख्या-1945/LXXXVII-CPC/e-Court दिनांकित 22-04-2021 के अनुपालन में पूर्व में पारित आदेश के समस्त दिशा-निर्देश इस आदेश के अधीन यथावत रहेंगे।

वर्चुअल कोर्ट / विडियोकान्फ्रेंसिंग हेतु अधिकारीगण अपने आवासीय कार्यालय अथवा न्यायालय स्थित विडियोकान्फ्रेंसिंग रूम का प्रयोग करेंगे। विद्वान अधिवक्तागण न्यायालय परिसर के बाहर से विडियोकान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु JITSI MEET साफ्टवेयर का प्रयोग करके आनलाइन माध्यम से कार्य कर सकेंगे। कम्प्यूटर विभाग में कार्यरत कर्मचारीगण से अधिकारीगण व विद्वान अधिवक्तागण विडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

सिस्टर आफिसर / कोर्ट मैनेजर इस आदेश को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि वे उपरोक्त न्यायालयों के संचालन की उपरोक्त व्यवस्था को स्थानीय अधिकृत मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

तद्नुसार समस्त संबंधित सूचित हो।

5/6/21

(प्रशांत मिश्र)
जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर

दिनांक 05.06.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
2– पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3– समस्त न्यायिक अधिकारीगण।
4– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर।
6– जेल अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर।
7– जिला प्रोवेशन अधिकारी, गाजीपुर।
8– जिला सूचना अधिकारीगाजीपुर,को दैनिक समाचार पत्रो मे निशुल्क प्रकाशन हेतु।
9– अध्यक्ष /महासचिव समस्त बार एसोसिएशन , गाजीपुर।

5/6/21

(प्रशांत मिश्र)
जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर

दिनांक 05.06.2021